

शमेश्वर बनाम लीटरमल  
वाद

क्र-नं  
52/2015

दफ्तर  
कोर्ट

06/4/21 वकील का की उपरोक्त कुरेजत पाहले हे कुके के वरुस  
हेतु समय-वाक्ये के पत्रावली कागजे वरुस कुरेजत  
दिनांक 23/4/21 को पेश हो।

23/4/21 वकीलों द्वारा आज कण्डोलैस/कार्य  
स्थितिगत रणे जाने से पत्रावली गत  
आज्ञानुसार दिनांक 28/5/21  
को पेश हो।

28/5/21 कोरेवा  
प्रसाइडिंग ऑफीसर दारे/अवकाश  
पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु  
दिनांक 01/7/21  
को पेश हो।

01/7/21 प्रसाइडिंग ऑफीसर दारे/अवकाश  
पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु  
दिनांक 05/8/21  
को पेश हो।

05/8/21 प्रसाइडिंग ऑफीसर दारे/अवकाश  
पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु  
दिनांक 02/9/21  
को पेश हो।

29/8/21 प्रसाइडिंग ऑफीसर दारे/अवकाश  
पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु  
दिनांक 29/9/21  
को पेश हो।

27/9/21 प्रसाइडिंग ऑफीसर दारे/अवकाश  
पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु  
दिनांक 17/12/21  
को पेश हो।

17/12/21 प्रसाइडिंग ऑफीसर दारे/अवकाश  
पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु  
दिनांक 03/02/22  
को पेश हो।

17/02/22 वाशि अधिवक्ता प्रम वाशि के उपस्थित डीकर  
वाद विद्वा कराने का प्रा. पत्र एवं पत्रावली  
तलब क्रिये जाने का प्रा. पत्र पेश किया। वाशि  
के पत्रावली तलब करने का प्रा. पत्र के आधार  
पर पत्रावली आज तलब की गयी। वाशि I D. रामेश्वर  
L7.  
रामेश्वर  
रामेश्वर




# फर्द अहकाम

सहायक कलेक्टर - सी. टी. डि. डि. डि.

रामेश्वर                      बनाम      छीतरमल

मुकदमा संख्या / वर्ष :                      52 / 2015

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>मे विद्रा प्रा. पत्र के अवलोकन किया गया। वादी ने विद्रा प्रा. पत्र के पर निवेदन किया है कि मैं आगे वाद नहीं चलाना चाहता हूँ। वाद के इसी स्तर पर विद्रा करने का निवेदन किया है। अतः लोक अग्र-पत्र के भावना के आधार पर वादी को वाद इसी स्तर पर विद्रा करने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फॉर्मल नुमां 101 की नम्बर के कम होकर डाखिला इफ्तार की। वादी के पठमान वादी अधिवक्ता सुभाष दीसिल ने प्रमाणित की है।</p> <p style="text-align: right;">                       सहायक कलेक्टर                      सी. टी. डि. डि. डि.                 </p>	